खंड 7 संख्या 18

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 20 जुलाई, 1982।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर सं० 7, 8 ध्यानाकर्षण समिति में जांच हेतु सुपुर्द। 10, 26, 27 (पूर्ण उत्तर हेतु स्थगित एवं 28)	1-2
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 866, 2125, 2126, 2128, 2129, 2154, 2155, 2157 एवं 2198।	13—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ...	27—83
दैनिक निबंध ...	85—86

टिप्पणी : जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चांडील, नीमडीह एवं इचागढ़ प्रखंडों के सभी स्कूलों का केन्द्र चांडील राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय में रखने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्री करम चन्द भगत—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) जिला केन्द्र चयन समिति ने चांडिल उच्च विद्यालय को माध्यमिक परीक्षा केन्द्र बनाने की अनुशंसा नहीं की थी। (भविष्य में जिला केन्द्र चयन समिति के आधार पर ही चांडील, नीमडीह एवं इचागढ़ प्रखंडों के उच्च विद्यालयों को माध्यमिक परीक्षा का केन्द्र बनाया जाना संभव होगा।

बाल बंदियों के कल्याण की व्यवस्था।

2154. श्री अजित कुमार सिंह—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सैकड़ों बाल बन्दी बिहार के विभिन्न काराओं में रखे गये हैं, यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार बालक अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत बाल बन्दियों को रिमांड होम तथा बालक गृह में नियमत: रखना अनिवार्य है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बाल बन्दियों के कल्याण हेतु अबतक उन्हें क्यों नहीं उक्त बालक गृह तथा रिमांड होम में रखने की व्यवस्था की है ?

श्री मिश्री सदा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

बिहार की विभिन्न काराओं में बाल बंदियों की संख्या दिसम्बर, 1981 तक 353 थी।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) बालक अधिनियम, 1982 के आलोक में बाल बंदियों को प्रति प्रेषण गृह, बाल भवन एवं बाल भवन-सह-विशेष स्कूल में रखने की व्यवस्था की गयी है। जिन बाल बंदियों को उक्त संस्था में अबतक नहीं रखा जा सका है, उन्हें काराओं से हटा कर उक्त संस्थाओं में रखने की दिशा में कारंवाई की जा रही है।